न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 774–पीबीआर/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 22–01–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवई, जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 69/अपील/ 2011–12

श्रीमती हसीवा वी पत्नी डॉ0
असरफ उद्दीन अहमद अब्बासी,
निवासी–पिपलिया, पैंदेखॉ,
साकेत नगर, भोपाल
द्वारा मुख्त्यारआम डॉ0 असरफ
उद्दीन अहमद अब्बास,
निवासी–पिपलिया, पैंदेखॉ,
साकेत नगर, भोपाल ..... आवेदिका

विरूद्ध

1– गनेशीबाई पत्नी स्व0 श्री बलुआ,
निवासी–ग्राम रूसिया, तहसील
कुरवई, जिला–विदिशा
2– श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी,
कुरवई, जिला–विदिशा
3– श्रीमान तहसीलदार महोदय,
कुरवई, जिला–विदिशा ..... अनावेदकगण

श्री अनिल गुप्ता अभिभाषक, आवेदिका
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदिका क्रं0 1
श्री बी0एन0 त्यागी, पेनल अभिभाषक, अनावेदक क्रं0 2 एवं 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/14 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी कुरवई, जिला–विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम रूसिया स्थित सर्वे क्रमांक 539 रकबा 0.209 हैक्टयर, 540 रकबा 0.647 है0, 541 रकबा 0.125 हैं0, 542/1 रकबा 0.178 हैं0, 543/1 रकबा 0.533 है0, 542/2 रकबा, 0.272 है0, 543/2 रकबा 1.390 है0 कुल किता 7, कुल रकबा 3.354 है0 की स्वत्व व आधिपत्य धारी अनावेदिका क्रं0 1 है । आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुरवाई के यहॉ अनावेदिका को सूचना दिये बगैर नामांतरण पंजी क्रमांक 4 दिनांक 27.05.2010 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 29.06.2010 से उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज कराया है । इसके पश्चात् अनावेदिका द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवई के समक्ष अपील दिनांक 21.06.12 को प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा आवेदक के जवाब पर विचार कर वादग्रस्त भूमि में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.01.2013 पारित कर उक्त आवेदन को समयावधि में मान्य किया गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2013 से दुखी होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की अपील के साथ प्रस्तुत हुए विलम्ब आवेदन को स्वीकार कर अपील अवधि अन्दर मान्य करने में भूल की, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत विलम्ब क्षमा किए जाने हेतु आवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि नामांतरण पंजी क्रं0 4 दिनांक 27.05.2010 तथा प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 29.06.2010 से आवेदक द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया एवं दिनांक 02.06.2010 को जब आवेदिका द्वारा बखर चलाने से मना किया तब उक्त नामांतरण होने की जानकारी प्राप्त हुई । इस प्रकार दिनांक 02.06.2010 को अनावेदकगण को तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश की जानकारी हो गई थी । जिसके पश्चात् दिनांक 21.06.2012 को अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो कि लगभग 2 वर्ष विलम्ब से की गई थी। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों के अनुसार विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता था, अन्यथा भी विलम्ब क्षमा किये जाने की अवधि हेतु उपरोक्त अवधि को दिन प्रतिदिन स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना आवश्यक है । अनावेदकगण द्वारा अपने आवेदन में यह असत्य एवं मिथ्या वर्णित किया गया कि उन्हें तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 27.05.2010 व प्रमाणीकरण दिनांक 29.05.2010 की जानकारी नहीं थी, जबकि आवेदिका द्वारा उक्त वादभूमि वर्ष 2010 पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया था । इस कारण यह अनावेदकगण का उक्त आधार प्रथम दृष्टया असत्य प्रमाणित होता है । तर्क में यह

भी बताया कि, अनावेदिका क्रं0 1 द्वारा उक्त वादभूमि के संबंध में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश विदिशा समक्ष सिविल वाद पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया जोकि सिविल वाद क्रमांक 04/2012 पर पंजीबद्ध हुआ एवं जिसमें स्थंगन आवेदन भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि विचारोपरांत उक्त आवेदन निरस्त किया गया । जिसके पश्चात् अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष विविध अपील क्रमांक 1218/2012 प्रस्तुत की तथा उक्त अपील भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई । आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्कों में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका के हित में उक्त नामान्तरण आदेश पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किया गया था, जिसे अनावेदकगण द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय को नामान्तरण किए जाने का अधिकार है तथा विक्रय पत्र की वैद्यता की जॉच किए जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल कोर्ट को है । अंत में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश खारिज करते हुये निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका क्रं0 1 के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, अनावेदिका के हक में दिनांक 29.06.2010 को पारित किये गये नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.06.2012 को अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ अवधि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र संलग्न किया गया जिसमें जानकारी दिनांक 02.06.2012 को होना बताते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका अनावेदिका द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब में कहा कि आवेदिका को पूर्व से ही उक्त नामांतरण की जानकारी थी तथा आवेदिका ने जानबूझकर जानकारी का दिनांक 02.06.2012 अंकित किया और जो जानकारी का कारण दर्शाया गया है वह भी समाधानकारक नहीं है क्योंकि अनावेदिका द्वारा आवेदिका को खेती करने से रोके जाने पर उसके द्वारा इस संबंध में कोई भी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की गई इसका कोई स्पष्ट कारण अपने आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि आवेदिका ने महल अपील को म्याद लाने के उद्देश्य से जानकारी का दिनांक 02.06.2012 अंकित किया है जो मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदिका द्वारा उठाये गये उक्त तर्क से सहमत होते हुये आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को समयावधि बाह्य मानते हुये आवेदिका की अपील निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश विधिसंगत है । तर्क में यह भी बताया कि, राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि

जहॉ जानकारी का स्त्रोत समाधानकारक न हो तब किसी भी पक्षकार को अवधि अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा जानकारी स्त्रोत समाधान कारण न होने के कारण आवेदिका अवधि अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र का लाभ प्राप्त कर पाने की अधिकारी नहीं है और यही बात अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा मान्य करते हुये आवेदिका अवधि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये जो आदेश पारित किया है उक्त आदेश विधिसंगत है । तर्क में यह भी कहा गया है कि, विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पटवारी को पंजी भरने का अधिकार है और पंजी पर आवेदक के हस्ताक्षर कराये जाना आवश्यक नहीं है । तहसीलदार कुरवाई द्वारा भरी गई कुंजी पर विधिवत इश्तहार जारी किया गया है और आमसूचना का प्रकाशन हो जाने के पश्चात निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति न आने के कारण तसहीलदार द्वारा उक्त नामांतरण का प्रामणीकर किया गया है जिसमें तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार अवैधानिकता नहीं की गई है इसलिये आवेदिका का यह कहना कि उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया आवेदिका का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ कोई अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जावें तब ऐसी अपील के साथ प्रस्तुत किये गये अवधि अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र में अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है आवेदिका को तहसीलदार कुरवाई के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11.06.2012 को प्राप्त हुई और उसके द्वारा दिनांक 21.06.2012 को अपील प्रस्तुत की गई । आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आवेदिका को दिनांक 11.06.2012 को नकल प्राप्त होने के पश्चात वह दिनांक 23.06.2012 तक अपील क्यों प्रस्तुत नहीं कर सकी और ना ही उसके द्वारा दिनांक 11.06.2012 से दिनांक 21.06.2012 के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण अपने आवेदन पत्र में अंकित किया गया है इस कारण से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्ब से स्पष्टीकरण दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की विवेचना करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित किया गया । उक्त प्रकरण में भी तहसीलदार कुरवाई एवं अनुविभागीय अधिकारी का समवर्ती निष्कर्ष होने से इस निगरानी में ऐसे समवर्ती निष्कर्षो के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अंत में अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5/ अनोवदक क्रमांक 2 व 3 की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत तर्कों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । नामांतरण पंजी क्रं0 4 दिनांक 27.05.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण आदेश में अनावेदिका क्र0 1 उपस्थित नहीं रही है न ही उनके हस्ताक्षर कराए गये है। उन्हें सूचना दी जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है । जबकि पूर्व भूमि स्वामी होने के नाते वे एक आवश्यक पक्षकार थी । ऐसी स्थिति में उनकी अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है । पीठ पीछे किए गए नामांतरण को हिबद्ध पक्षकार द्वारा कभी भी चुनौती दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्ष विधिपूर्ण हहै ।

7/ अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर